Trade Union Movement and Social Security in the U.S.A. (Part - B)

श्रम संगठन संबंधी विधियाँ !

सन 1914 के बाद श्रमिक संगठनों से संबंधित संविधियाँ निर्मित की गयी थीं। सन 1932 के पश्चात श्रमिक संघों की सदस्यता में महान वृद्धि प्रमुखतः अनुकूल विधानों पर ही आधारित थी। सन 1935 में कांग्रेस ने वेगनर राष्ट्रीय श्रम संबंध अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम को लागू करने के लिए राष्ट्रीय श्रम संबंध परिषद की रचना की गई। इस अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय ने सन 1937 ई० में मान्य घोषित किया। इस अधिनियम को को तत्परता से लागू किया गया। इसके कारण श्रमिक संघ आन्दोलन की कुछ गंभीरतर बाधाएं दूर की जा सकी और श्रमिकों को अधिक उचित एवं अनुकूल रूप से मोल भाव करने का अवसर प्राप्त हो सका।

सन 1947 में श्रम व्यवस्था संबंध अधिनियम पारित किया गया। जिसे Taft-Hartley Act भी कहा जाता है। इसने 1935 के अधिनियम में परिवर्तन किया :-

1. राष्ट्रीय श्रम-संबंध मंडल की सदस्यता 3 से बढ़ाकर 5 कर दी गयी।
2. संघीय सरकारी सेवक यदि हड़ताल में सम्मिलित होंगे तो उन्हें अपदस्त किया

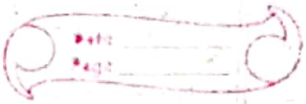

जा सकता है।
3. श्रमिक संघ अपने सदस्यों को केवल चन्दा नहीं देने के कारण ही निष्कासित कर सकते हैं, अन्य किसी कारण नहीं।
4. मालिकों के अनुचित कामों की एक सूची निर्मित की गई।
5. यदि श्रमिक संघ राष्ट्रीय श्रम संघ के पास आवेदन करें तो उन्हें अपने व्यवस्था के ढाँचे को भी बतलाना होगा।
6. राष्ट्रव्यापी प्रभाव डालने वाले हड़ताल की दशा में राष्ट्रीय श्रम-संबंध मंडल 80 दिनों का व्यादेश (Injunction) दे सकता है।

Taft-Hartley Act का मुख्य उद्देश्य श्रम एवं व्यवस्था के बीच सन्तुलन स्थापित करना था। इसे लागू करने का कार्य राष्ट्रीय श्रम संबंध परिषद को सुपुर्द किया गया।

इस प्रकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य श्रमिक संघों की शक्ति को कम करना था। किन्तु Paul A. Samuelson जैसे अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि इनसे श्रमिकों की शक्ति में कोई कमी नहीं हुई। वर्तमान समय में :—
1. अमेरिकी श्रम अत्यंत ही संगठित एवं सुसम्पन्न है।
2. आज के अमेरिका में सामूहिक मोल-भाव एक सामान्य अभ्यास हो गया है।
3. श्रमिकों के संगठन शक्तिशाली एवं साधन

सम्पन्न है।

5\. संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पष्ट रूप में श्रमिक संघों को राजनीतिक कार्यों एवं राजनीतिक संबंध से वंचित किया गया है।

संयुक्त राज्य में सामाजिक कल्याण तथा सुरक्षा कार्यक्रम संघ सरकार तथा राज्य सरकारों दोनों के निर्देशों तथा सहयता पर निर्भर है। इनमें वृद्धावस्था पेंशन, आश्रितों के लिए सहायता तथा अयोग्यता के विरुद्ध बीमा आदि की व्यवस्था एवं वित्तीय सहायता संघ सरकार करती है तथा बेरोजगारी एवं अन्य प्रकार की बीमे की व्यवस्था राज्य सरकार करती है।

समाप्त

धन्यवाद

Scanned with CamScanner